

#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

### प्राधिकार से प्रकाशित

#### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 556] No. 556] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 23, 2017/फाल्गुन 4, 1938

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 23, 2017/PHALGUNA 4, 1938

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2017

का.आ. 621(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 20(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा, कितपय क्षेत्रों को द्वीप संरक्षण खंड के रूप में घोषित किया था और उक्त खंड में उद्योगों की स्थापना करने और उनके विस्तार, संक्रियाओं तथा प्रसंस्करणों पर निर्वंधन अधिरोपित किए थे;

और उक्त अधिसूचना के पैरा 3 की मद (घ) के अधीन शीर्ष 5 की मद (ii) के अधीन तटीय विनियमन खंड अधिसूचना, 1991 के अधीन पहले से ही अनुमोदित तटीय खंड प्रबंध योजनाओं को केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना सं. का. आ. 1213(अ) तारीख 22 मार्च, 2016 द्वारा 31 जनवरी, 2017 तक लागू किए जाने के लिए अनुज्ञात किया गया था;

और एकीकृत तटीय विनियमन खंड तथा एकीकृत द्वीप प्रबंध योजना के तैयार करने की प्रास्थिति का पुनर्विलोकन करने के पश्चात्, केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि संघ राज्यक्षेत्रों को अपनी-अपनी प्रारूप एकीकृत तटीय विनियमन खंड और एकीकृत द्वीप प्रबंध योजनाओं को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने में कुछ और अधिक समय लगेगा;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियय, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के उपबंध को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि यह उक्त अधिसूचना का आगे और संशोधन करने के लिए उक्त नियमों के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्त करना लोक हित में है;

1061 GI/2017 (1)

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) और उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के पैरा ।।। के खंड (घ) में शीर्ष 5 के अधीन "अविध जिसके लिए एकीकृत तटीय विनियमन खंड और एकीकृत द्वीप प्रबंध योजनाएं विधिमान्य होंगी" से संबंधित मद (ii) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:-

"(ii) तटीय विनियमन खंड अधिसूचना, 1991 के अधीन तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा पहले से ही अनुमोदित द्वीप के लिए तटीय क्षेत्र प्रबंध योजनाएं, जिनके लिए एकीकृत तटीय विनियमन खंड और एकीकृत द्वीप प्रबंध योजना तैयार नहीं की गई हैं, 31 जुलाई, 2017 तक लागू रहेंगी।"

[फा. सं. जे-17011/18/96-आईए-III]

अरूण कुमार मेहता, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. सं. 20(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् निम्नानुसार संशोधित की गई थी:-

- (1) अधिसूचना सं. का.आ. 2558(अ), तारीख 22 अगस्त, 2013;
- (2) अधिसूचना सं. का.आ. 1213(अ), तारीख 22 मार्च, 2016।

# MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd February, 2017

**S.O. 621(E).**—Whereas, by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 20(E), dated the 6th January. 2011 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government declared certain areas as Island Protection Zone and restrictions were imposed on the setting up and expansion of industries operations and processes in the said Zone;

And whereas, under item (ii) of heading 5 under clause (D) of paragraph III of the said notification, the Coastal Zone Management Plans already approved under the Coastal Regulation Zone notification, 1991, were allowed to be used up to the 31<sup>st</sup> January, 2017 by the Central Government vide notification number S.O. 1213 (E), dated the 22<sup>nd</sup> March, 2016;

And whereas, after the review of the status of preparation of Integrated Coastal Regulation Zone and Integrated Islands Management Plan, the Central Government is satisfied that it may take some more time for the Union territories to submit their respective draft Integrated Coastal Regulation Zone and Integrated Islands Management Plan for approval;

And whereas, the Central Government, having regard to provision of sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, is of the opinion that it is in public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules for further amending the said notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rules (3) and (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the said notification, namely:-

In the said notification in paragraph III, in clause D, under the heading 5 relating to period for which ICRZ and IIMPs shall be valid, for item (ii), the following item shall be substituted, namely:-

"(ii) The Coastal Zone Management Plans for the Island as already approved by the erstwhile Ministry of Environment and Forests under the Coastal Regulation Zone notification, 1991 and for which the Integrated Coastal Regulation Zone and Integrated Islands Management Plan have not been prepared as per the said notification shall be used till the 31<sup>st</sup> July, 2017."

[F. No. J-17011/18/96-IA.III]

ARUN KUMAR MEHTA, Jt. Secy.

**Note:** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 20(E), dated the  $6^{th}$  January, 2011 and subsequently amended as follows:-

- 1. S.O. 2558 (E) dated the 22<sup>nd</sup> August, 2013;
- 2. S.O.1213(E) ) dated the 22<sup>nd</sup> March, 2016;

## अधिसूचना

## नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2017

का.आ. 622(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा, कितपय तटीय क्षेत्रों को तटीय विनियमन खंड के रूप में घोषित किया था और उक्त खंड में उद्योगों की स्थापना करने और उनके विस्तार, संक्रियाओं तथा प्रसंस्करणों पर निर्वंधन अधिरोपित किए थे;

और उक्त अधिसूचना के पैरा 5 के खंड (viii) के अधीन राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के तटीय खंड प्रबंधन प्राधिकरण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह केन्द्रीय सरकार को पणधारियों से प्राप्त सुझावों और आक्षेपों को समाविष्ट करने के पश्चात् अपनी सिफारिशों के साथ प्रारूप तटीय खंड प्रबंध योजना प्रस्तुत करे;

और उक्त अधिसूचना के पैरा 5 के खंड (xii) के अधीन, तटीय विनियमन खंड अधिसूचना, 1991 के अधीन पहले से ही अनुमोदित तटीय खंड प्रबंध योजनाओं की विधिमान्यता को केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना सं. का. आ. 1212(अ), तारीख 22 मार्च, 2016 द्वारा 31 जनवरी, 2017 तक विस्तारित किया गया था;

और तटीय क्षेत्र प्रबंध योजनाओं के तैयार किए जाने की प्रास्थित का पुनर्विलोकन करने के पश्चात्, केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उसे तटीय राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए, अपनी-अपनी प्रारूप तटीय खंड प्रबंध योजनाओं को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने हेतु कुछ और अधिक समय की आवश्यकता है;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियमय, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के उपबंध को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि यह उक्त अधिसूचना का आगे और संशोधन करने के लिए उक्त नियमों के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्त करना लोक हित में है;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) और उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना के पैरा 5 के खंड (xii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(xii) तटीय विनियमन खंड अधिसूचना, 1991 के अधीन तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा पहले से ही अनुमोदित तटीय क्षेत्र प्रबंध योजनाएं 31 जुलाई, 2017 तक या ऐसे समय तक जैसा उक्त अधिसूचना के अधीन बनाई गई नई तटीय क्षेत्र प्रबंध योजनाओं को इस मंत्रालय द्वारा अनुमोदन दिया जाता है, इनमें से जो भी पहले हो, विधिमान्य होंगी।"

[फा. सं. जे-17011/18/96-)आईए-III]

अरूण कुमार मेहता, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. सं. 19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें तत्पश्चात् निम्नलिखित संशोधन किए गए:-

- 1. का.आ. 2557(अ), तारीख 22 अगस्त, 2013 ;
- 2. का.आ. 1244(अ), तारीख 30 अप्रैल, 2014 ;
- 3. का.आ. 3085(अ), तारीख 28 नवंबर, 2014 ;
- 4. का.आ. 383(अ), तारीख 4 फरवरी, 2015 ;
- 5. का.आ. 556(अ), तारीख 17 फरवरी, 2015 ;
- 6. का.आ. 938(अ), तारीख 31 मार्च, 2015 ;
- 7. का.आ. 1599(अ), तारीख 16 जून, 2015 ;
- 8. का.आ. 3552(अ), तारीख 30 दिसंबर, 2015 ;
- 9. का.आ. 1212(अ), तारीख 22 मार्च, 2016 ; और
- 10. का.आ. 4162(अ), तारीख 23 दिसंबर, 2016.

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd February, 2017

**S.O. 622(E).**—Whereas, by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O.19 (E), dated the 6<sup>th</sup> January, 2011 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government had declared certain coastal stretches as Coastal Regulation Zone and restrictions were imposed on setting up and expansion of industries, operations and processes in the said Zone;

And whereas, under clause (viii) of paragraph 5 of the said notification, the Coastal Zone Management Authority of a State Government or of a Union territory is required to submit the draft Coastal Zone Management Plan along with its recommendations to the Central Government, after incorporating the suggestions and objections received from the stakeholders;

And whereas, under clause (xii) of paragraph 5 of the said notification, the validity of Coastal Zone Management Plans already approved under the Coastal Regulation Zone notification, 1991, was extended up to the 31<sup>st</sup> January, 2017 by the Central Government vide notification number S.O. 1212 (E), dated the 22<sup>nd</sup> March, 2016;

And whereas, after review of the status of preparation of the Coastal Zone Management Plans, the Central Government is satisfied that more time is needed by coastal States and Union Territories to submit their respective draft Coastal Zone Management Plans for approval;

And whereas, the Central Government, having regard to provision of sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 is of the opinion that it is in public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules for further amending the said notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rule (3) and sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the said notification, namely:-

In the said notification, in paragraph 5, for clause (xii), the following clause shall be substituted, namely:

"(xii) The Coastal Zone Management Plans as already approved by the erstwhile Ministry of Environment and Forest under the Coastal Regulation Zone notification, 1991, shall be valid up to the 31<sup>st</sup> day of July, 2017 or till such time as the approval is given by this Ministry to the fresh Coastal Zone Management Plans made under the said notification, whichever is earlier".

[F.No. J-17011/18/96-IA.III]

ARUN KUMAR MEHTA, Jt. Secv.

**Note :** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) vide number S.O.19(E), dated the 6<sup>th</sup> January, 2011 and subsequently amended as follows:-

- 1. S.O. 2557(E), dated the 22<sup>nd</sup> August, 2013;
- 2. S.O. 1244(E), dated the 30<sup>th</sup> April, 2014;
- 3. S.O. 3085(E), dated the 28<sup>th</sup> November, 2014;
- 4. S.O. 383(E), dated the 4<sup>th</sup> February, 2015;
- 5. S.O. 556(E), dated the 17<sup>th</sup> February, 2015;
- 6. S.O. 938(E), dated the 31<sup>st</sup> March, 2015;
- 7. S.O. 1599(E), dated the 16<sup>th</sup> June, 2015;
- 8. S.O. 3552(E), dated the 30<sup>th</sup> December, 2015;
- 9. S.O. 1212(E), dated the 22<sup>nd</sup> March, 2016; and
- 10. S.O. 4162(E), dated the 23<sup>rd</sup> December, 2016.